

भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
राज्य सभा
मौखिक प्रश्न सं. 151
गुरुवार, 3 अगस्त, 2023/12 श्रावण, 1945 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

बाहरी हार्बर पर क्रूज बर्थ का निर्माण

151 श्री वि. विजयसाई रेड्डी:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि विशाखापटनम बंदरगाह के बाहरी हार्बर में लगभग रु 40 करोड़ के अनुमानित व्यय से क्रूज बर्थ के निर्माण को पांच साल पहले स्वीकृति दी गई थी;
- (ख) क्या यह भी सच है कि परियोजना अभी तक पूरी नहीं हुई है और सरकार द्वारा 50 प्रतिशत राशि का भी उपयोग नहीं किया गया है;
- (ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (घ) उपरोक्त परियोजना कब तक पूर्ण हो जायेगी?

उत्तर

पर्यटन मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

बाहरी हार्बर पर क्रूज बर्थ का निर्माण के संबंध में दिनांक 03.08.2023 के राज्य सभा के मौखिक प्रश्न सं. 151 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में विवरण

(क) से (घ): पर्यटन मंत्रालय (एमओटी) ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अनुरोध पर विशाखापटनम पोर्ट ट्रस्ट (वीपीटी) द्वारा विशाखापटनम पत्तन के बाहरी बंदरगाह में चैनल बर्थ पर क्रूज-कम-कार्गो टर्मिनल के विकास के आंशिक वित्तपोषण के एक प्रस्ताव को वर्ष 2018-19 में अनुमोदित किया था ।

विशाखापटनम पोर्ट ट्रस्ट (वीपीटी) के अनुसार अनुमोदित परियोजना लागत कुल 77 करोड़ रु. थी जिसमें से 50 प्रतिशत वित्तपोषण (अर्थात 38.50 करोड़ रु.) पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया जाना था और शेष व्यय विशाखापटनम पोर्ट ट्रस्ट (वीपीटी) द्वारा अपने आंतरिक संसाधनों से पूरा किया जाना था । पर्यटन मंत्रालय द्वारा 38.50 करोड़ रु. के अनुमोदित वित्तपोषण में से 29.91 करोड़ रु. (जो अनुमोदित वित्तपोषण का 77.6 प्रतिशत है) पहले ही जारी कर दिए गए हैं । विशाखापटनम पोर्ट ट्रस्ट (वीपीटी) द्वारा इस राशि का पूरा उपयोग कर लिया गया है ।

विशाखापटनम पोर्ट ट्रस्ट (वीपीटी) की परियोजना के आंशिक वित्तपोषण के लिए पर्यटन मंत्रालय ने दिसम्बर 2018 में वित्तीय सहायता की स्वीकृति दी थी । इसके बाद वीपीटी ने पर्यावरण संबंधी स्वीकृति के लिए आवेदन किया था । राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईए) ने जून 2019 में भारतीय नौसेना से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) प्राप्त किए जाने की शर्त पर विचारार्थ विषय (टीओआर) को अनुमोदित किया । भारतीय नौसेना से जुलाई 2021 में अनापत्ति प्रमाणपत्र मिल गया था । एसईआईए द्वारा इस परियोजना के लिए पर्यावरण संबंधी स्वीकृति अक्टूबर 2021 में जारी की गई ।

इस बीच सरकार द्वारा मार्च 2020 से कोविड-19 (पहला दौर) लॉकडाउन भी लगा दिया गया था और फिर अप्रैल 2021 तक कोविड-19 (दूसरा दौर) के कारण आंशिक प्रतिबंध लगाए गए थे ।

इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मोड संबंधी निविदा (बर्थ और टर्मिनल बिल्डिंग दोनों के लिए) की कार्रवाई सितंबर 2021 में शुरू की गई लेकिन केवल एक अयोग्य बोलीकर्ता ने भाग लिया । अतः नियमानुसार इसे रद्द कर दिया गया था और कार्य को दो पैकेजों अर्थात (1) क्रूज बर्थ का निर्माण और (2) क्रूज टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण में विभाजित कर दिया गया । अंततः फरवरी 2022 के दूसरे सप्ताह से काम शुरू हुआ ।

पर्यटन मंत्रालय द्वारा इस परियोजना की पूरी निगरानी की गई है और बर्थ निर्माण, क्रूज बिल्डिंग, ढांचागत निर्माण कार्य आदि जैसे प्रमुख निर्माण कार्य पूरे हो गए हैं । सभी प्रमुख घटक पूरे होने के बाद यह परियोजना उद्घाटन के लिए तैयार है ।